



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

क्रमांक 2713/ मुकाअ/चिप्स/2019

रायपुर, दिनांक 29/11/2019

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-कांकेर
छत्तीसगढ़

विषय:-भारतनेट परियोजना हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित वनभूमि 4.144 हेक्टेयर का FRA प्रमाण पत्र एवं राजस्व वनभूमि 0.386 हेक्टेयर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने विषयक।

संदर्भ: क्रमांक/भानेप्रो-II/वनभूमि/एफआरए-अनापत्ति/2019-20/13 रायपुर, दिनांक 30/09/2019

विषयानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में भारतनेट परियोजना के तहत राज्य में 85 ब्लॉक के 5987 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लगभग 32 हजार किमी. की ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही हैं। जिसमें लगभग 5000 किमी. वन क्षेत्र भी सम्मिलित है।

इस तारतम्य में फारेस्ट ROW की स्वीकृति के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जाना है जिसके लिए कांकेर वनमण्डल अन्तर्गत चारामा एवं नरहरपुर ब्लॉक के सम्मिलित ग्राम पंचायतों के मार्गों के समानान्तर वनभूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित वनभूमि 4.144 हेक्टेयर का FRA प्रतिवेदन एवं राजस्व वनभूमि 0.386 हेक्टेयर का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। जिसके लिए वनक्षेत्र का विवरण पत्र के साथ संलग्न है।

भारतनेट एक Linear Project हैं एवं Linear Project के लिए भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के आदेश (पत्र क्रमांक F.No. 11-09/98-FC(Pt.) दिनांक 28 अक्टूबर 2014) की जानकारी पत्र के साथ संलग्न हैं।

अतः ROW की ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, प्रभावित वनभूमि 4.144 हेक्टेयर का FRA प्रमाण पत्र एवं राजस्व वनभूमि 0.386 हेक्टेयर का नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स

क्रमांक 27B/A मुकाअ/चिप्स/2019
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/11/2019

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, इले. एवं सू.प्रौ. विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
3. वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल छ.ग.की ओर सूचनार्थ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स